फद अहकाम
(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
मैसर्स जुनिपर ग्रीन स्टेलर प्राईवेट लिमिटेड जरिये अधिकृत प्रतिनिधि सुनील बोडा पुत्र ओमप्रकाश निवासी नेहरू प्लेस नई दिल्ली		गणेश कुमार पुत्र गोविन्दाराम जाति खत्री, निवासी शिव तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (10)

मुकदमा नम्बर 86/2025

किस्म मुकदमा राजस्व वाद (53)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.05.2025	प्रार्थीगण/वादीगण/अपीलाण्ट के अधिवक्ता **श्री धनपतसिंह भाटी** द्वारा यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 53 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 26.06.25 को पेश हो। सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	2864–72
26.6.25	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण स्थगित होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आइन्दा दिनांक 14.7.25 को पेश हो।	
14.07.25	पत्रावली पेश। वादी वकील अनुपस्थित। अधिवक्ता बालाराम गोदारा द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 9 की ओर से वकालतनामा पेश। पत्रावली वास्ते वादी वकील को [illegible] जवाब एवं प्रकाशी पेश हेतु [illegible] प्रतिवादीगण के [illegible] 23.07.25 को पेश हो। सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.02.02 18:27:10 IST
Reason: SelfAttested

क्र. सं. शेष हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3.11.25	पत्रावली पेश। वाकुलाम उपस्थित। वादी वकील द्वारा O1R10 (1,2) का प्रार्थना पत्र वास्ते प्रतिवादी संख्या 2 से 5 व 7 से 9 के नाम शीर्षक से हटाने तथा क्रेता खातेदार को पक्षकार संयोजित करने का पेश किया गया। पत्रावली वास्ते O1R10 (1,2) के प्रार्थना पत्र के जवाब व बहस हेतु दिनांक 20.11.25 को पेश हो। सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	
20.11.25	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण हल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 7.1.26 को पेश हो।	
07.01.26	पत्रावली पेश। वाकुलाम उपस्थित। वादी वकील द्वारा उक्त वाद में सम्पूर्ण भूमि वादी कम्पनी द्वारा क्रय करने से उक्त वाद को जरिये विड्रो खारिज करने का निवेदन किया गया तथा साथ ही वर्तमान जमाबंदी की प्रति पेश की। पत्रावली में वादी वकील को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि [illegible] विवादित आराजी का बैनामा हो [illegible] वकील द्वारा उक्त वाद [illegible] निवेदन किया गया है। अतः उक्त स्थिति में वाद इसी स्टेज पर जरिये विड्रो खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	सम्पूर्ण भूमि क्रय करने के कारण मैं मेरा दावा विड्रो करता हूं। (अधिवक्ता वादी) 07.1.26

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.02.02 18:27:10 IST
Reason: SelfAttested